रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1999/वैशाख 6, 1921
No. 102] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1999/VAISAKHA 6, 1921

SECRETARIAT LIBRARY

वाणिज्य मंत्रालय

(पाटनरोधी तथा सम्बद्ध सीमाशुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1999

विषय :—अमरीका, कोरिया गणराज्य तथा थाइलैंड मूल के या वहां से निर्यातित एक्रेलिक फाईबर पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का आरंभ ।

सं. 21(1)/99-डीजीएडी.—स्वदेशी उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए एक्रेलिक फाईबर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के फोरम ने, कस्टम टेरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा कस्टम टेरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी सीमाशुल्क की पहचान, आकलन तथा समाहरण एवं क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार, अधिसूचना संख्या 47/एडीडी/आई डब्लू, तारीख 14 अक्टूबर, 1997 द्वारा अमरीका, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से एक्रेलिक फाईबर के सभी निर्यातों पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक याचिका, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है।

2. **विचाराधीन उत्पाद**

विचाराधीन उत्पाद एक्रेलिक फाईबर है। एक्रेलिक फाईबर, कस्टम टेरिफ अधिनियम, 1995 की अनुसूची 1 के अध्याय 55 के उप-शीर्ष 5501.30 तथा 5503.30 एवं भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु विवरण एवं कोडिंग पद्धति पर आधारित) के अन्तर्गत नम्बर 550130.00 तथा 550330.00 के अधीन वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

3. **पाटनरोधी जांच का आरंभ**

कस्टम टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में, प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सिफारिश किए गए पाटनरोधी सीमाशुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करे। वादी ने इस बात के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं कि प्राधिकारी द्वारा पहले आकलित पाटनमार्जिन परिवर्तित हो गया है एवं तर्क दिया है कि अमरीका, कोरिया तथा थाइलैंड से निर्यातकों द्वारा निर्यातित माल पर प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए पाटनरोधी सीमाशुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता है।

4. प्राधिकारी संतुष्ट है कि बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, वादी के अनुरोध पर अमरीका, कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड से एक्रेलिक फाइबर के निर्यातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है। उपरोक्त के लिए मध्यावधि समीक्षा भी इस वर्ष होनी है और इसलिए प्राधिकारी मानता है कि वादी के अनुरोध पर आरंभ की जाने वाली समीक्षा को मध्यावधि समीक्षा भी माना जाएगा।

5. अमरीका, कोरिया गणराज्य तथा थाइलैंड के संबंध में अधिसूचना संख्या 47/एडीडी/आई.डब्ल्यू, तारीख 14 अक्तूबर, 1997 द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा का निर्णय कर लेने पर प्राधिकारी एतद्द्वारा, पूर्वोक्त नियमों के अनुसार अमरीका, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से एक्रेलिक फाइबर्स के सभी आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगातार लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा के लिए जांच आरंभ करता है।

6. यह समीक्षा, अधिसूचना संख्या 47/एडीडी/आई.डब्ल्यू, तारीख 14 अक्तूबर, 1997 के सभी पहलूओं को कवर करती है।

7. **जांच की अवधि**

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 की है।

8. **सूचना देना**

ज्ञात सम्बद्ध निर्यातकों और आयातकों एवं स्वदेशी उद्योग को निर्धारित रूप और ढंग से सभी संबंधित सूचना देने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने में रूचि रखने वाली अन्य कोई पार्टी निम्नलिखित को लिख सकती है :—

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटन-रोधी प्रभाग)

भारत सरकार,

वाणिज्य मंत्रालय,

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

9. **समय सीमा**

इस समीक्षा से संबंधित सभी सूचना लिखित रूप में दी जाए और उपरोक्त पते पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों से अनधिक में पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी रहती है तो प्राधिकारी पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को अभिलेखित कर सकता है।

10. **सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूप दिए गए हैं।

11. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना तक पहुंच को मना करती है या उचित समय के भीतर अन्यथा सूचना नहीं देती या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, उसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझता है।

रति विनय झा, नामनिर्दिष्ट अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Anti-Dumping Directorate and Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1999

Subject :—Initiation of review of anti-dumping duty imposed on Acrylic Fibre originating in or exported from USA, Korea DP and Thailand.

No. 21(1)/99-DGAD.—The Forum of Acrylic Fibre Manufacturers' Association representing the domestic industry have filed a Petition before the Designated Authority under the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 requesting review of the Anti-dumping Duty recommended by the Designated Authority (referred to as Authority, hereinafter) vide Notification No. 47/ADD/IW, dated 14th October, 1997 on all exports of acrylic fibre by USA, Korea DP and Thailand.

2. **Product under consideration :**

The product under consideration is Acrylic Fibre, Acrylic Fibre is classified under Custom sub-heading 5501.30 and 5503.30 of Chapter 55 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1995 and No. 550130.00 and 550330.00 under Indian Trade Classification (based on Harmonised Commodity Description and Coding System). The classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present review.

3. **Initiation of Anti-Dumping Investigation :**

The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the rules made thereunder require the Authority to review, from time to time, the need for the continued imposition of Anti-Dumping Duty recommended. The Petitioner has furnished

sufficient *prima facie* evidence that the dumping margin assessed earlier by the Authority has changed and has argued that the Anti-Dumping Duty recommended by the Authority on the goods exported by exporters from USA, Korea and Thailand requires to be enhanced.

4. The Authority is satisfied that there is a need for review of anti-dumping duty on exports of acrylic fibre by USA, Korea DP and Thailand on the request of the Petitioner in view of the changed circumstances. The mid-term review for the above, is also due this year and as such, the Authority considers that the review being undertaken on the request of the Petitioner would also be treated as a mid-term review.

5. Having decided to review the Final Findings notified by Notification No. 47/ADD/IW, dated 14th October, 1997 with regard to (USA, Korea DP and Thailand), the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of the Anti-Dumping Duty on all exports of acrylic fibres by (USA, Korea RP and Thailand) in accordance with the rules supra.

6. This review covers all aspects of Notification No. 47/ADD/IW, dated 14th October, 1997.

7. **Period of Investigation :**

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 1998 to 31st March, 1999.

8. **Submission of information :**

The exporters and the importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to :

The Designated Authority

(Anti-Dumping Division)

Government of India

Ministry of Commerce,

Udyog Bhavan, New Delhi-110 011.

9. **Time Limit :**

All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

10. **Inspection of Public File :**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public life containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

11. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054